an>

Title: Discussion on the Repatriation of Prisoners (Amendment) Bill, 2010.(Bill Passed)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I beg to move:

"That the Bill to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003, be taken into consideration."

Sir, the Repatriation of Prisoners Act, 2003 provides for the transfer of certain prisoners from India to a country or place outside India and from a country or place outside India into India. The Act came into force on 1st January 2004. Section 5, Sub-section 2, Clause-C of the Act provides that prisoners who have been convicted for an offence under Martial Law are not to be considered for repatriation.

We have discovered that the use of the phrase 'Martial Law' was wrong. The correct phrase that should have been used is 'Military Law'. 'Martial Law' has a particular meaning and 'Military Law' has another meaning. 'Martial Law' is when the military has taken over the Government of the country and all rules are framed by the military and the administration of justice is under the control of the military. Then, the phrase is 'Martial Law', when there is military dictatorship.

Military law means law applicable to military courts. The administration is civil administration, but military courts are set up and that is military law. Therefore, the correct expression that should have been used is 'military law'. I do not know how this mistake happened in 2003. The phrase 'martial law' had come into the Bill whereas the phrase 'military law' should have been used. This is an anomaly, this is an error and I think, this should be corrected. Therefore, we are moving the amendment that the phrase 'martial law' be replaced by the phrase 'military law'.

I would request the hon. Members to support the Bill.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003, be taken into consideration."

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे The Repatriation of Prisoners (Amendment) Bill, 2010 में जो अमेंडमेंट आ रहा है, उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बिल में बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, मार्शल लॉ की जगह मिलिट्री लॉ अंकित करना है। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में भी मामला गया और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी, जो वैंकेया नायडू जी की अध्यक्षता में थी, बहुत चर्चा हुई और उसके बाद यह कहा गया कि यह अमेंडमेंट आना चाहिए। हम इस अमेंडमेंट का स्वागत करते हैं। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि मॉर्शल लॉ तभी लागू हो सकता है, जब किसी देश को मिलिट्री ऑक्यूपाई कर ले या मिलिट्री टेक ओवर कर ले। भारत में वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। भारत लोकतंत्र में जीता है, गणतंत्र में जीता है। इसलिए भारत में इस मॉर्शल लॉ शब्द, चाहे यह ओवरसाइड से आया हो, चाहे कैसे भी आया हो, की जगह मिलिट्री लॉ शब्द होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह बिल मूल रूप से यह कहता है कि जो भारतीय विदेशों में निर्दोष रूप से जेलों की सजा भुगत रहे हैं, उनके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी डायरेक्टरी है, ऐसी सूची है जो यह बता सके कि भारत के इतने लोग पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, इतने ईरान की जेलों में सड़ रहे हैं, इतने मिडिल ईस्ट की जेलों में सड़ रहे हैं? उन पर कोई आरोप नहीं है। मैं यहां पर एक उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय सरबजीत का केस अखबारों में बहुत आया। उनकी बहन ने भी पाकिस्तान की सरकार से निवेदन किया और उनकी बेटियों ने भी कहा। उनकी बेटियों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारे पापा के लिए भारत को कोई संधि करनी पड़े, पाकिस्तान की कोई शर्तें माननी पड़ें तो मत मानिये, पापा को सजा होनी दीजिये। उनकी बेटियों का कमाल देखिये कि उन्होंने यहां तक कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? ऐसा ही सरबजीत का मामला है और ऐसा ही मामला राजस्थान का है, जहां से मैं आ रहा हूं। अभी एक मामला सामने आया कि हमारे राजस्थान के सीकर जिले के कुछ लोग मजदूरी के लिए ईरान गये हुए थे। वहां उन्होंने कोई ट्रैफिक रूल्स वायलेशन किया और उन्हें बंद कर दिया गया। हम यहां विदेश मंत्रालय में भी गये, हमने कहा कि क्या बात है, उन्हें किस कारण से बंद किया है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। उन्हें तीन महीने हो गये हैं। मैं समझता हूं कि इस देश के ऐसे सैंकड़ों नागरिक विदेशों में बिना किसी दोष के सजा भुगत रहे होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह ऐसी कोई डायरेक्टरी बनाये, ऐसा कोई शैडयूल बनाये, ऐसी कोई सूची बनाये, जिससे देश जान सके कि भारत के कितने नागरिक, जिन पर किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, छोटे-मोटे कोई ऐसे कानूनी अपराध जानकारी के अभाव में हो जाते हैं, जिसके कारण भी वे वहां की जेलों में पड़े रहते हैं। हमारे साथी

जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वे कह रहे हैं कि हिमाचल के भी बहुत से लोग वहां पर हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है कि पूरा सदन इसके लिए कह रहा है। जितने भी निर्दोष भारतीय विदेशों में जेलों में बंद हैं, उनकी सूची बनायी जाये और भारत सरकार उन्हें भारत में प्राप्त करने के लिए पूर्ण मनोयोग से प्रयास करे। हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कररता हूँ। इस बिल पर ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।

सभापति जी, मैं रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। पिछले कई सालों से चाहे यूपीए-1 हो या यूपीए-2 हो, चाहे प्रधान मंत्री जी हों या होम मिनिस्टर हों, ये सभी प्रयास कर रहे हैं कि रियासत जम्मू-कश्मीर के हालात सुधरें, वहाँ अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे। इस बिल में मार्शल लॉ की जगह मिलिट्री लॉ का नाम रखना चाहते हैं। रियासत जम्मू-कश्मीर के हज़ारों लोग हमारे पड़ोसी मुल्क में कैद हैं। पाकिस्तान ने पिछले 20-22 वर्षों से इस मुल्क हिन्दुस्तान में मजमुई तौर पर और खासकर रियासत जम्मू-कश्मीर में तबाही और बरबादी की और हज़ारों की तादाद में की। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास फिगर्स होंगे कि यहाँ से कितने लोग वहाँ चले गए, कैसे चले गए। क्या वे बरगलाए हुए लोग थे, जो वहाँ ट्रेनिंग लेने चले गए। आज पिछले दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है कि जब से हमारी सरकार आई, होम मिनिस्टर साहब खुद कितनी बार वहाँ गए। क्या वे हर जिले तक पहुँचे और लोगों से यह जानने की कोशिश की कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, अमन कैसे हो सकता है, यहाँ की तरक्की आगे कैसे बढ़ सकती है? यहाँ एक बात इन्होंने भी की और कुछ इंटरलोकेटर भी काम कर रहे हैं, सरकार को वे अपनी रिपोर्ट दे रहे होंगे, लेकिन नंबर का पता नहीं है। जैसे मेरे साथी मैम्बर ने शुरू करते हुए कहा कि क्या कोई डायरैक्ट्री है कि कितने लोग पाकिस्तान की जेलों में हैं, वे कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, एड्रैसेज़ क्या हैं? एक तरफ यह भी कहा जा रहा है और रीहैबिलिटेशन पालिसी की बात कुछ लोगों ने कही। मैं जानना चाहता हूँ कि रीहैबिलिटेशन उन लोगों की होगी जो पाकिस्तान की जेलों में हैं, या जो ट्रेनिंग कैम्पों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं? वे वहाँ से आ जाएंगे और यहाँ उनका रीहैबिलिटेशन होगा। क्योंकि जो वहाँ 20-22 बरसों से गया है, वहाँ तो उसने शादी कर ली है, चार-चार बच्चे उनके हो गए हैं। अपने परिवार के साथ जब वे यहाँ वापस आएँगे तो उनकी रीहैबिलिटेशन का पैटर्न क्या होगा और उसका एक और खतरा हमें नज़र आता है। हमारी रियासत के तीन रीजन हैं - लद्दाख है, कश्मीर है और जम्मू है। तीनों की अलग-अलग स्थिति है। लेकिन जम्मू के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस बात को उठाएँगी और फिर ऐसे गड़बड़ करवाएँगी और हालात खराब करने की कोशिश करेंगी। मैं हाउस को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे 1947 के रिफ्यूजी - वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जो पिछले 62 बरसों से पार्टीशन के बाद हिन्दुस्तान में आ गए, दिल्ली में आए, पंजाब में आए, हरियाणा में आए या देश के किसी हिस्से में चले गए, उनकी आबादकारी हो गई, उनकी रीहैबिलिटेशन प्रापर हो गई। मैं कश्मीर की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग जम्मू के अंदर रह गए, वहाँ आबाद हुए हैं, वे आज वहाँ वोट नहीं डाल सकते, वे पंचायत के इलैक्शन नहीं लड़ सकते, वे मैम्बर असैम्बली का इलैक्शन नहीं लड़ सकते, वे पार्लियामैंट का इलैक्शन लड़ सकते हैं। वे वहाँ सर्विस नहीं कर सकते, वे ज़मीन नहीं खरीद सकते, प्रापर्टी नहीं खरीद सकते। और उनको हम हिन्दुस्तान के लोग कहते हैं। जब हम दूसरे लोगों की रीहैबिलिटेशन करेंगे तो यह मुद्दा उठेगा कि जो 60 बरसों से अपने ही मुल्क में रह रहे हैं, उनकी रीहैबिलिटेशन नहीं है। मैं मशकूर हैं, मैं लंबी बात नहीं कहते हुए इस बहस फायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरा फर्ज़ बनता है कि एक सच्चे हिन्दुस्तानी होने के नाते जो हमारे साथ वहाँ रह रहे हैं, चाहे वे वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, चाहे 1947 के रिफ्यूजी हैं, 1965 के रिफ्यूजी हैं, चाहे 1971 के रिफ्यूजी हैं, या अभी 1999 में जो कारगिल वार हुई, उससे मतास्सिर हुए लोग अपने घर-बार छोड़कर पीछे आ कर बसे हैं, उनके मसले हैं, उनकी तरफ होम मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और होम मिनिस्टर साहब के इस बिल की ताईद करता हूँ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में श्रीलंका, बांग्ला देश, पाकिस्तान और चीन से लोग आ रहे हैं। वहां उनकी संख्या 36 हजार बतायी जाती है। लेकिन वे 36 हजार पाकिस्तान की जेलों में हैं या ट्रेनिंग कैम्पों में हैं या इधर-उधर घूम रहे हैं? उनकी आइडैंटीफिकेशन कैसे होगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी निर्णय करने से पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को मद्देनजर रखना होगा। पाकिस्तान की चालों में आकर जो लोग वहां चले गए, अब वे लोग इस देश की मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि हमारे मुल्क में, जम्मू में, कम से कम आठ-दस हजार फैमिलीज़ हैं, जो 60 वर्षों से रह रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे आज की सरकार से लड़ रहे हैं, वे 62 वर्षों से लड़ रहे हैं कि हमें अपने हकूक दे दिए जाएं। लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसलिए जब भी आप कोई फैसला करते हैं, तो उनको भी उनके राइट्स, हकूक दिए जाने चाहिए।

आखिर में, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने और होम मिनिस्टर साहब ने सुना, चाहे यह रैलेवेंट था या नहीं था, लेकिन मैं इनसे यह बात कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिलता था। इनसे मिलकर भी इतनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। मैं कोई तहरीरी तौर पर भेजता, वह पता नहीं पढ़ा जाता या नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यहां कहकर मैं यह दर्ज करवाना चाहता हूं कि यह बात जम्मू रीज़न के अंदर है। जिन्होंने सैंकड़ों लोगों को मारा है, मिलीटैन्सी की कार्यवाहियां की हैं और पाकिस्तान चले गए और अब उनको वहां से वापस लाकर उनकी रिहैबलीटेशन की जाएगी। लेकिन हमारे देश में जो लोग 62 सालों से रह रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेगा, कोई खबर नहीं लेगा, उनकी रिहैबलीटेशन की बात नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ बेइंसाफी होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, गृह मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं उसका स्वागत एवं समर्थन करता हूँ। मैं सम्माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मूल रूप से इस विधेयक में भारत के बाहर और बाहर के जो बंदी हमारे यहां हैं, उनकी स्थिति के बारे में एक छोटा सा संशोधन है, जिसमें सेना विधि के स्थान पर सैनिक विधि करना है। सेना से मतलब है डायरैक्ट मिलिट्री और सैनिक विधि में सेना का अपना कानून होता है। सेना विधि को संशोधन करके सैनिक विधि करने का हम लोग स्वागत करते हैं। चूंकि हमारे यहां मार्शल लॉ अथवा सैनिक प्रशासन नहीं है। हमारे यहां लोकतंत्र है और हम संवैधानिक तरीके से अपना कार्य करते रहे हैं।

महोदय, यह बात सत्य है कि हमारे देश के बहुत से मुछआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं और पड़ोसी देशों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से भारतीय प्रवासी विदेशों में बंद हैं, क्योंकि छोटी-मोटी धाराओं की उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे बाहर के देशों की जेलों में बंद हैं। हम उनकी कोई देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। इस पर सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपने उद्बोधन भाषण में इस बात को कहें कि जो भारत के लोग अन्य देशों में बंद हैं, वे किस स्थिति में हैं? उनको छुड़वाने के लिए क्या व्यवस्था है और बाहर के लोग यहां बंद हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? इस ओर अपने उद्बोधन में अवश्य बताएंगे।

महोदय, जहां तक बंदियों के विषय में बात कही गई है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी अगर देखा जाए तो विभिन्न कारागार जेलों में 70 प्रतिशत बेगुनाह लोग हैं, केवल तीस परसैंट ऐसे लोग हैं, जिन्होंने गुनाह किया है। इसका मूल्यांकन भी समय-समय पर होना चाहिए। यहां पर जो बंदी किसी अपराध में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है, यह विषय दिया गया है, इसलिए मैं इस पर थोड़ी संक्षेप रूप से अपनी बात कहना चाहूंगा। आज भी हमारे बंदी कारागार जेलों में हैं। अंग्रेजों का जो मैनुअल था, वह आज भी चला आ रहा है। अगर उनकी सुख-सुविधाओं को देखा जाए तो पता चलेगा कि बंदियों की स्थिति बहुत ही बदत्तर है। अंग्रेजों के समय का जो मैनुअल चला आ रहा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन संरक्षण का विधेयक यहां पर हम लोगों ने पास किया। हमने मानवाधिकार संरक्षण की बात भी कही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि बंदी या जो कैदी हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन न करते हुए उन्हें सहूलियत देनी चाहिए, इस बात को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इस सदन में कई बार देखा गया है कि कई बार ऐसे मामले उठे हैं कि बहुत सी जेलों में पुलिस एवं जेल कारागार की प्रताड़ना अभिरक्षा में बहुत से लोगों की मौते हुई हैं। इसे भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए, जो मानवाधिकार का सीधा उल्लंघन प्रदर्शित करता है। आज अगर देश में देखा जाए, एक तो जिला कारागार जेल है, जहां पर बंदी एवं कैदी हैं और दूसरी सेंट्रल जेल है, जहां ये होते हैं। उनकी सुविधाएं वहां पर अलग-अलग हैं। इस पर भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। आज अंग्रेजों के मैनुअल में दिखाया गया है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, कैदियों के बारे में सबसे ज्यादा अनुभव हमें है, क्योंकि मैं भी लगभग साढ़े तीन साल जेल में रहा हूं, आप हम से पूछिए। शैलेन्द्र जी, आप सही बताइए कि बंदियों की असली हालत क्या है? उनके साथ जो रहा हो, उन्हें ज्यादा अनुभव है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मदन लाल शर्मा जी और आप भी इस बारे में बोले हैं, यह भी उसी से संबंधित है, बंदी एवं कैदियों के विषय में है।...(व्यवधान) अंग्रेजों के मैनुअल के आधार पर आज भी देखा जाए तो बंदी एवं कैदी, चाहे वे विदेश के हों या अपने यहां के हों, उन्हें चार पैसे में फल दिया जाता है। आप अनुमान कर लीजिए कि हम चार पैसे में उन बंदी एवं कैदियों को कैसे फल वितरित कर सकते हैं। जो कैदी एवं बंदी हैं, ...(व्यवधान) वहां आज भी अंग्रेजों का मैनुअल है। वह पूरा दिन मजदूरी करता है और उसे केवल दस रुपए वेजेस मजदूरी दिया जाता है। आज केन्द्र सरकार ने मिनिमम वेजेस सौ रुपए रखा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे भी केन्द्र सरकार गंभीरता से ले और मिनिमम वेजेस दस रुपए के स्थान पर कम से कम सौ रुपए करे। 60-70 साल की उम्र के बहुत से बंदी कैदी हैं, चाहे वे बाहर के हों या अपने यहां के हों। उनकी रिपोर्ट पहले डीएम देते थे और वे छोड़ते थे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बिल लिमिटेड परपस के लिए है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मदल लाल शर्मा जी ने काश्मीर की बात कही, हमें भी अपनी थोड़ी बात कहने दीजिए। यह अवसर बार-बार नहीं आते, इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि आज भी 60-70 साल के बहत से बंदी कैदी हैं, जिन्हें छोड देना चाहिए। वे फिजिकली बिलकल अनफिट हैं, डॉक्टर भी उनके बारे में लिखता है कि ये

अनफिट हैं। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर उसे छोड़ देना चाहिए। अब यह पहले शासन को भेजा जाता है, थाने की रिपोर्ट आती है, थानेदार लिखता है कि साहब, ये सज़ायाफ्ता है, अगर ये बाहर आएगा तो कानून-व्यवस्था भंग होगी, इसलिए इसे न छोड़ा जाए। जब कि वह फिजिकली बिलकुल अनफिट है। ऐसे लोगों के बारे में भी यहां पर विचार होना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है, वहां पर हर बंदी-कैदियों को डिप्टी जेलर की देख-रेख में टेलीफोन करने की व्यवस्था है। वह अपने वकील एवं परिवार से बात कर सकता है, लेकिन अन्य जेलों में, सेंट्रल जेलों या जिला कारागार में यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। मुलाकात का समय हफ्ते में दो दिन का रखा गया है, कैदियों का परिवार या उनका वकील, जो पैरवी करता है, यह समय दो दिन से बढ़ा कर चार-पांच दिन का करना चाहिए। ताकि वह पैरवी कर सके और छूट भी सके।

महोदय, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कह कर मैं अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा। बहुत से लोग जो 60-70 वर्ष के हैं। अगर वह बहुत पहले जेल गया है और उसे आजीवन कारावास मिला है, तो उससे मुलाकात करने उसके नाती-पोते भी आते हैं, लेकिन वह मुलाकात इतनी दूरी से होती है कि वह अपने नाती-पोते के सर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाता है। इसलिए मुलाकात की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुलाकात करने वाला उसके निकट जा सके, यानी शेक-हैंड-डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे वह हाथ मिलाकर और अपने नाती-पोते के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे सके।

महोदय, जेलों में कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। कारागारों में जो बन्दी और कैदी हैं, ताकि उन्हें अपने प्रयोग हेतु हर तरह की आवश्यक वस्तुं, जो वे इस्तेमाल करते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हो सकें।

महोदय, जेलों में कैदियों को रखने की जो व्यवस्था है, वह भी ठीक नहीं है। कारागारों की जितनी क्षमता है, उससे कई गुने अधिक कैदी उनमें रखे जाते हैं। कुछ समय पहले, मैं प्रतापगढ़ जेल में दो महीने तीन दिन तक था। वहां 400 की कैपेसिटी है और 750 कैदी रखे गए। बरेली जेल में कैदियों की कैपेसिटी 1500 है, लेकिन वहां 3000 कैदियों को रखा जाता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सुनिए। आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं। जो बातें आप बोल रहे हैं, वे इसमें बिलकुल नहीं आती हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए बिन्दुओं पर माननीय गृह मंत्री जी ध्यान देंगे। चूंकि यह छोटा सा संशोधन है। इसलिए आपने इसमें सेना के स्थान पर सैनिक किया है, परन्तु विषय बन्दी और कैदियों से संबंधित था, इसलिए अन्य लोगों ने भी विषय से हटकर बात कही। चूंकि यह उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने भी अपनी बात कही।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो और ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी के सामने अनेक केस आए होंगे। उन्हें सब कुछ पता है। दहेज प्रथा के नाम पर जितने निर्दोष फंसाए जा रहे हैं उतने लोग किसी और केस में नहीं फंसाए जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं वकील रहे हैं, उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है। कहीं दहेज प्रथा का अगर एक केस भी हो जाता है और किसी ने आत्महत्या की, तो सास भी, बहू भी, लड़का भी, ससुर भी, बहन भी और अन्य रिश्तेदार भी, सभी के सभी जेल में बन्द कर दिए जाते हैं। ऐसी सजाएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी तो बहुत बड़े वकील रहे हैं। उन्हें सब पता है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि ऐसे मौके पर इस प्रकार के प्रकरणों पर भी विचार कर लेना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नेता जी, यह तो दूसरी बात है।

â€¦(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक के प्रस्ताव के समर्थन पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुए दो बातें रखी हैं। उन्हीं के संबंध में एक-दो बिन्दुओं पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। सेना विधि की जगह, सैनिक विधि किया गया है। यह निश्चितरूप से प्रासंगिक है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। जहां मार्शल-ला होता है, जहां सैनिक शासन होता है, वहां 'सेना विधि' शब्द उपयुक्त हो सकता था, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए वह उपयुक्त नहीं है। इसी का एक दूसरा बिन्दु है कि अनजाने में हमारे देश के लोग मछुआरे के रूप में, कभी सीमा उल्लंघन के रूप में, कभी पर्यटक के रूप में बन्दी बना लिए जाते हैं। ऐसे लोगों की भी संख्या विदेशों में ज्यादा है।

अभी हमारे एक सहयोगी, माननीय सांसद, लीबिया में फंसे भारतीयों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। हम लोग चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए हमारा भी लीबिया की घटनाओं से चिन्तित होना स्वाभाविक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भदोही हमारा संसदीय क्षेत्र है। वहां से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो काम की तलाश में लीबिया, मिश्र, अरब और दुबई आदि कंट्रीज में जाते हैं। किन्हीं कारणों से उन्हें वहां बन्दी के रूप में रखा जाता है। इस बात की ठीक-ठीक जानकारी करनी चाहिए कि ऐसे निरपराध लोग कितने हैं और क्या वे भी विदेशों में यातनाएं भुगत रहे हैं। कुछ मछुआरे ग्रुप में जाते हैं। उनके बन्दी होने के बारे में भी देश में हमेशा इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं।

मान्यवर, इस मैन्युअल में सुधार की आवश्यकता है। जैसा अभी हमारे एक सहयोगी, माननीय सांसद, श्री शैलेन्द्र कुमार जी कह रहे थे कि देश की जेलों में कैदियों की क्या स्थिति है, उसे देखना चाहिए। आज भी हमारे देश की जेलों में ऐसे लोग हैं, जो वहां जाने के बाद भी अपने अपराध जगत में लिप्त हैं। जेलों के अंदर से वे अपने अपराध जगत का संचालन करते हैं। उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अधिक उम्र के कैदी हैं, उन्हें रियायत देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जेल में रहकर वे केवल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं।

मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए विदेशों में फंसे हुए अपने देश के ऐसे निरपराध लोग, जो बन्दी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, उन्हें भी वापस लाने की तथा इसके साथ-साथ कोई व्यवस्था बनायें।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया है।

कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताएं इस बात पर व्यक्त कीं कि अपने देश के नागरिक मछुआरों के रूप में, पर्यटक के रूप में या कभी-कभी पशुओं को चराते-चराते सीमाओं को पार कर जाते हैं और जाने-अनजाने जब वे देश की सीमा लांघ जाते हैं तो वे बन्दी बना लिए जाते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अपने देश में भी जो विभिन्न कारागारों में बन्दी हैं, उनकी स्थिति भी कोई ठीक-ठाक नहीं है। उनके साथ मानवीय व्यवहार की भी कमी है। मैं इस पर चर्चा के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो बन्दी वृद्ध हो चुके हैं या जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर चली गई है और जो किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, वैसे लोगों को परिहार देने का प्रावधान है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है, इसकी प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि जो हृदय रोग से, कैंसर से या किडनी की बीमारी से ग्रसित बन्दी हैं, उनको उस प्रावधान के रहत हुए भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके।

मैं माननीय गृह मंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करना चाहता हूं कि देश के अनेकों कारागारों में जो नक्सली होने के कारण और नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत सारे बन्दी कारागारों में बन्द हैं, माननीय गृह मंत्री जी उनके लिए एक योजना अभी लाये है। उन जिलों के, उन इलाकों के विकास के लिए, जिन 60 जिलों को देश के अन्दर नक्सल प्रभावित चिन्हित किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के माध्यम से ये उस समस्या पर नियंत्रण करना चाहते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान गृह मंत्री जी लाये हैं और जिले के स्तर पर जो कमेटी आपने बनाई है, उसके लिए सुझाव देने के लिए या कार्यान्वित करने के लिए, उसमें मेरा यह सुझाव है कि डी.एम., एस.पी. और डी.एफ.ओ. (डिस्ट्रिक्ट फॉरैस्ट ऑफिसर) को आपने उस कमेटी में रखा है। हम सांसदों ने आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में शरीक होकर अपने-अपने सुझाव रखे। हम लोगों को कहीं न कहीं से उस बैठक में जाने की मनाही भी थी और धमकियां भी मिलीं, लेकिन हम लोगों ने रिस्क लेकर उस बैठक में भाग लिया। आपने जब इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान की कमेटी लांच की तो उसमें सांसदों की सलाह का, उनके सुझावों का कहीं कोई मतलब नहीं है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप विकास की जो समेकित योजना लाये हैं, उसमें सांसदों के सुझाव के आधार पर योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए उसमें व्यवस्था करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया-धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri P. R. Natarajan − Not present.

Shri Prabodh Panda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, this amendment is very simple and the scope is very limited. So, I do support this amendment Bill.

The Bill seeks to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003. The Act allows the foreign prisoners to be transferred to the country of their origin, to serve the remaining part of their sentence, and the prisoners of Indian origin convicted by foreign courts, to serve their sentence in India.

The sufficient explanation given is that it is to change the words 'martial law' to 'military law'. The explanation given is, the words 'martial law' are not relevant in the Indian context and are present in the Act because of a clerical error. It has been reported that the Home Secretary explained to the Standing Committee that military law means the law applicable to Armed Forces and martial law is a law declared by the Army when it takes over a country. Our country is neither ruled by the military and nor our country has been taken over by any military power. So, this martial law is not relevant to our country and hence I support it.

My question is, if a prisoner of Indian origin is convicted in a foreign country and if he is convicted under violation of martial law then what should be our attitude. Martial law is not relevant in the Indian context but in case a person has violated the martial law of other country then how would it be addressed? It is an occasion for us at least to know as to how many Indian origin prisoners are languishing in the prisons of other countries. I would in particular like to know about the poor fishermen engaged in marine fishery. Lakhs and lakhs of fishermen are engaged in marine fisheries and a number of them have already been arrested abroad and are languishing in foreign jails. I would like to know whether the Government has any information in this regard, if so, please apprise us of the number of Indian origin prisoners languishing in foreign jails.

With these words, I support this Bill.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, कहा जा रहा है कि यह बड़ा साधारण विधेयक है। इसमें सेना विधि के बदले सैनिक विधि लिख देना है। हम सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? चूक हो गयी, तो जब कानून बनाने में सेना विधि के बदले सैनिक विधि लिखा गया, तो इस सब के लागू करने में कितनी चूक हो रही होगी, यह मैं पहला सवाल उठाता हूं। मतलब चूक हो गयी, एक विधेयक देखा है, जो सेना विधि लिख देने से गड़बड़ा रहा है, इसलिए हम सैनिक विधि लिखने के लिए विधेयक लाए हैं। यह चूक हो गयी है। ...(व्यवधान) क्लेरिकल चूक के तहत कानून में है, इसे ठीक किया जा सकता है। यहां जब विधेयक का मौका आ गया, हम बोलने लगेंगे, तो आप कहेंगे कि आउट आफ कांटैक्स्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाए, इसे सुना जाए। एक चूक हो गयी। हम सवाल नंबर एक उठाते हैं कि यह चूक क्यों हुयी? कानून बनाने में क्यों इतनी लापरवाही होती है, क्यों कुछ का कुछ लिखा जाता है? ...(व्यवधान)

सवाल नंबर दो, पाकिस्तान की जेल में 474 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 74 रक्षाकर्मी और 54 युद्धबंदी हैं। हम कैटेगौरिकली पूछना चाहते हैं कि वे कब छूटेंगे, वे क्यों नहीं छूट रहे हैं? लोग क्यों बेखबर हैं? बंदी जब जेल में जाता है तो लोग कहते हैं कि सरकार की संस्कृति जानी जाती है उनके जेलखाने से, परिवार की संस्कृति जानी जाती है उनके पैखाने से। कोई देश अपने बंदियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि हमारे देश के नागरिक किसी तरह दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, यह अनुभव करने की बात है। उनके परिवार के साथ क्या बीतती होगी। जहां श्री एसएम कृष्णा ने जवाब दिया, श्रीमती परनीत कौर ने जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री को उस बात की जानकारी है या नहीं या वे अभी तक बेखबर हैं? पाकिस्तान की जेल में 474 भारतीय नागरिक हैं जिनमें से 74 रक्षा कर्मी और 54 युद्धबंदी हैं। इसके अलावा 218 नागरिक और 182 मछुवारे भी इनमें शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान ने हालांकि 63 भारतीय नागरिकों और 182 मछुवारों के उनकी जेलों में होने की बात स्वीकार की है, पाकिस्तान इतना स्वीकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े किसी भी व्यक्ति के अपनी जेलों में कैद होने की बात स्वीकार नहीं की है। यह देखा जाए कि हमारे यहां के जो सैनिक सन् 1971 की लड़ाई में युद्धबंदी हो गए, वे वहां किस हालत में हैं। उनका परिवार यहां किस हालत में होगा। विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान के मंत्री कुछ और कह रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी को इसकी खबर है या नहीं और इस बारे में इनका क्या कहना है, यह हम जानना चाहते हैं।

मिसिंग डिफेंस पर्सनल रिलेटिव्ज़ एसोसिएशन ने कहा है कि सन् 1971 की लड़ाई में लापता हुए 56 भारतीय सैनिक अब भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, जिनमें से कई अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। टाइम्स मैगज़ीन ने 27 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की तस्वीरें छापी हैं। सरकार क्यों बेखबर है, इस बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है? युद्ध में गए लोग लड़ाई के दौरान किसी तरह बंदी हो गए होंगे। क्या हमने उनकी खोज-खबर ली? हमने क्या प्रयत्न किए, यह हम जानना चाहते

हैं।

जब बंगलादेश की लड़ाई हुई, तब उनके 90 हजार लोग बंदी हुए थे। हमने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद उनके एक, सवा लाख लोग रिफ्यूजी होकर आए। हमने उन्हें भी ढोया। कितने लोग ऐसे भी थे जो वहां गए ही नहीं। हमारे युद्धबंदियों का क्या हुआ। सीमा आर-पार लगी हुई है, लोग चूक या भूल से भी उस तरफ चले जाते हैं। पानी की सीमा में कोई चिन्ह नहीं है। जहां पानी की सीमा में कोई चिन्ह नहीं है, हो सकता है कि लोग नाव पर मछलियों का पीछा करते-करते सीमा पार कर गए होंगे। उन्हें श्रीलंका सरकार गिरफ्तार करती है, पाकिस्तान अथवा बार्डर के इलाके में कोई और गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके लिए कोई स्थायी नीति, पॉलिसी या संधि क्यों नहीं है कि वे चूक से गए या गलती से चले गए। क्या कोई जान-बूझकर दूसरे देश की जेल में जाना चाहेगा? कोई व्यक्ति जान-बूझकर भी जा सकता है, अनजाने में भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई नीति क्यों नहीं है? हम यह सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में दो देशों के बीच स्थायी और न्यायपूर्ण नीति होनी चाहिए। ये लोग जेल के अंदर बंदी लोगों के स्थानान्तरण, प्रत्यावर्तन, यहां से वहां, वहां से वहां ले जाने के लिए कानून में लगे हुए हैं, अक्षर बदलने में लगे हुए हैं। सेना के बदले सैनिक लिखा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात समाप्त हो गई है।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, जब तक दूसरे देशों की जेलों, पाकिस्तान की जेल में हमारे लोग बंद है, सरकार उन्हें वापिस नहीं लायेगी और सदन को नहीं बतायेगी कि हमने उनके बारे में क्या किया तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब यह कहते हैं कि हो गया। क्या ऐसे होता है? क्या हम अक्षर बदलने के लिए आये हैं? हमारे युद्धबंदी में ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बारे में बोल चुके हैं।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं, हम अलग-अलग सवाल जानना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप यह ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात खत्म हो चुकी है। अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह बंदी लोगों का सवाल है, लेकिन बिना बंदी वाला अपराधी जो यहां से भागकर दूसरे देश में चला जाता है और वापिस आता नहीं है। उसे यहां लाने में सरकार लाचार हो रही है, उसका क्या होगा? जब आप यह विधेयक लाइये हैं, तो क्या हम अक्षर भर में ही रह जायेंगे? हमारे देश के आम नागरिकों का कैसे हित होगा आदि सारे सवाल उठेंगे और सरकार को उनके बारे में बताना पड़ेगा।

महोदय, ये तीन-चार सवाल हमारे हैं। हम इनका केटेगौरिकली उत्तर चाहते हैं। आप इनका उत्तर हमें दिलवा दीजिए, नहीं तो यह लड़ाई छिड़ेगी और पता नहीं कहां तक जायेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, thank you. I stand here to support the amendment that has been brought by the hon. Home Minister in this Bill. No doubt, it has a very limited purpose. But it has to be considered both the ways − the transfer or repatriation of prisoners from India to other countries and the transfer or repatriation of prisoners from other countries to India. The discussion should be on both fronts. When we say prisoners, we mean those who are recognised. They are known people − known to the State, known to our country, known to the respective States which have convicted them or who are prisoners under trial who have been put behind bars in different countries. If they want to come back and serve the remaining part of their sentence in our country, then they have to apply. Accordingly, our Government have to recognise that and have to place them in a specific jail. An assurance has to be given and accordingly an agreement has to be made.

Similarly, if a foreign national is convicted in our country and if he seeks to be imprisoned in his own home land, then we have to go for an agreement. For that this law is necessary and this has a wider impact. The point that I would like to put forward for the consideration of the Government and for all of us who are deliberating on this Bill is that there are a large number of people who are put behind bars but are not recognised by the respective State.

When Shri Pranab Mukherjee was in-charge of the Ministry of Defence during the last term of the UPA-I Government, at that time I had drawn his attention to two instances concerning two soldiers. Both the soldiers were from my constituency. I have

my doubts as to why they transgressed the border or the Line of Control. But they were apprehended by the Pakistan Government. A letter had come from a different source that these two persons have been imprisoned in Pakistan. When I pursued that matter, the Armed Forces did not recognise them as their soldiers. It is not a case of fishermen transgressing into the waters of Sri Lanka. There are many who transgress the border. Shepherds also transgress the border because we do not have a demarcated border. Some people from the other side also come to our side. We have seen instances where young boys cross the border to see films or to see the cinema stars in Mumbai.

They have been apprehended and they have also been sent back. They are not termed as prisoners. But, I think, this is a humanitarian aspect which we should also look into when you are considering about repatriation of prisoners.

Sir, this reminds me of one incident when a freedom fighter was apprehended and was convicted in Britain during the struggle for freedom. While he was being transported by ship, he ran out from the ship and entered into the borders of France where he was apprehended and again he was handed over to the British authority. We have his photo in the Central Hall today. That is a part of repatriation because France and England had an agreement during that period and even they have it now. But my point here is this. Are our jails equipped enough to take the load of these types of prisoners who will be transported from outside and how many such foreign nationals are convicted and are languishing in our prisons who are seeking to go back to their own country and serve the sentence in their country? I think that will throw some light on the situation that is prevalent in our country and the system of our jurisprudence that has convicted them.

Sir, with these words, I support the Bill.

14.57 hrs

REPATRIATION OF PRISONERS (AMENDMENT) BILL − 2010 Contd.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir on behalf of AIADMK, I welcome this Bill with regard to the proposed amendment.

Sir, at the outset, I wish to state that the words `martial law' are not relevant in the contemporary Indian context. It is also necessary to state that the words `martial law' were inserted due to oversight. I appeal that these types of mistakes should not be repeated in future.

I also want to state that the fishermen of Tamil Nadu are being killed by the Sri Lankan Government against the principles of International law. The fishermen are often subjected to hardships by the Sri Lankan Government.

Sir, our leader, Dr. Jayalalithaa had on several occasions condemned the act of the Sri Lankan Government. I would, therefore, request the Government of India to protect the Indian fishermen from being subjected to killing by the Sri Lankan Government.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आदरणीय गृहमंत्री भी सुधार करने के प्रस्ताव लाए हैं - सेना विधि शब्द के स्थान पर सैनिक विधि शब्द यानि मार्शल लॉ की जगह मिलिटरी लॉ शब्द का बदलाव चाहते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे मत-क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वह एक दर्द भरी कहानी है। मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा, गुजरात में हिम्मतनगर तहसील के चांदरणी गांव के कल्याणसिंह हरिसिंह राठौर नाम के एक कैप्टन, जो असम रेजिमेंट में थे, पांच दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान से हुए युद्ध के दौरान छम्ब सेक्टर में लड़ते हुए गुम हो गए। आज के दिन तक उनका अता-पता नहीं लगा है। उनकी बहुत खोज की गयी, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। शायद वह शहीद हो गए हैं, जिन्दा हैं या नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है।

एक अंग्रेज पत्रकार सोफिया जब पाकिस्तान गई, उस समय वहां भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई गई थी और वह जेल में बंद थे। उस पत्रकार ने जब भुट्टो से मुलाकात की और पूछा कि आपको यहां कोई तकलीफ तो नहीं है, तो भुट्टो साहब ने कहा कि वैसे तो नहीं है, लेकिन रात को अगल-बगल से कैदियों के कराहने की या साफ सुनाई न देने की आवाज़ें आती हैं, जिससे मैं सो नहीं पाता हूं। मेरा मानना है कि हो सकता है उन आवाज़ों में एक आवाज़ कल्याण सिंह की भी हो। पाकिस्तान की जेलों में हमारे देश के जो 54 कैदी बंद हैं, उन्हें वापस लाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही एक मांग यह भी करना चाहता हूं कि कैप्टन कल्याण सिंह को शहीद मानकर मरणोपरांत जो शौर्य चक्र दिया जाता है, वह दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। गुजरात में मछुआरे जब फिशिंग के लिए समुद्र में जाते हैं, तो जैसा रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि समुद्र में सीमा चिन्ह न होने की वजह से वे पाकिस्तान की हद में चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें बंदी बना लिया जाता है। बाद में उन्हें छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन उनकी बोट जो तीन-चार लाख रुपए की होती है, वे लोग जब्त कर लेते हैं। मछुआरों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे यह नुकसान सह पाएं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि अगर पाकिस्तान सरकार हमारे मछुआरों को, जो गलती से उनकी सीमा में चले जाते हैं, छोड़ने के साथ-साथ उनकी बोट भी वापस करे।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, मैं आपकी इजाज़त से इस बिल पर दो-चार बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरे राज्य से सम्बन्धित इस बिल के जरिए काफी कुछ है। इस बिल का फायदा उठाते हुए मेरे ही शहर का एक कैदी पाकिस्तान से वापस आ पाया। जब वह यहां आया तो उसने बताया कि हमारे कई लोग वहां की जेलों में बंद हैं। मेरे जिले से, राज्य से और पूरे देश से भी कई लोग वहां जेलों में कैद हैं।

मेरे कहने का मकसद है कि पाकिस्तान अपने यहां की वास्तविक स्थिति हमें नहीं बताता कि हमारे लोग वहां की जेलों में हैं या नहीं, लेकिन जो लोग वापस यहां आते हैं, वे आपको बता सकते हैं। पिछले दो-तीन साल में जो भी वहां से यहां आया, उसने वहां की रीयल पिक्चर बताई है कि हमारे कितने लोग वहां कैद हैं। उसे सही मानकर आपको पाकिस्तान सरकार से बात करनी चाहिए। सन् 1965 से लेकर 1971 के बीच जो भी पाकिस्ता से युद्ध हुए, उनमें हमारे कई लोग वहां की जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उससे पहले हुए युद्ध में बंदी बनाए गए लोग तो लगता कि मर भी गए होंगे।

मेरे पास एक औरत आई थी। उसने बताया कि उसका पति पाकिस्तान की जेल में है, यह बात वहां से रिहा हुए कैदी ने यहां आकर बताई कि आपका पति जेल में है। मैंने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मुझे वहीं रटा-रटाया जवाब मिला कि हम देख रहे हैं। इस बात को पांच साल बीत गए हैं। इस तरह के पत्रों और जवाबों की एक बोरी भर गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। सारी दुनिया जानती है कि हम देख रहे हैं का क्या मतलब होता है। एक बार तो मेरा मन हुआ कि वह बोरी मैं यहां लाकर दिखाऊं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि हम देख रहे हैं, कह देने से बात नहीं बनने वाली है। मेरी हाथ जोड़कर सरकार से विनती है कि यह देखने वाली बात खत्म करें और काम की बात करें। जिन लोगों ने वहां की जेलों में अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवारों को छोड़ा।

15.00 hrs.

उसके साथ, इस देश के लिए कि हमारा देश बचा रहे, संभला रहे, किसी दुश्मन की नजर इस देश को न लगे, उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी।

कुछ चीजों ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट में नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन सरकार को, हमें और सभी को पता होता है। कुछ लोग इंवैस्टिगेशन कराने के लिए, सीआईडी के रूप में भेजने के लिए और दूसरे देशों की रिपोर्टिंग लेने के लिए उन बंदों को भेजते हैं और कहते हैं कि तेरा परिवार हम देखेंगे, तू जिदा आयेगा तो यह मिलेगा और नहीं आयेगा तो हम तेरा घर देखेंगे। बहुत बड़े-बड़े और रिस्पोन्सिबल ऑफिसर होते हैं, अच्छे-अच्छे रेंक के होते हैं और देशभक्ति का पूरा पाठ पढ़ाकर उसे भेज देते हैं। जब वह वहां पहुंचकर पकड़ा जाता है तो अपने वाले मना कर देते हैं कि हमने नहीं भेजा। यह जो काम किया जा रहा है यह अच्छा नहीं है और जब आदमी दूसरे देश की जेल से छूटकर वापस आता है तो उल्टे पुलिस उसके घर पहुंच जाती है कि बता वहां कैसे गया था, हिसाब दे, तू पाकिस्तान कैसे गया और तुझे किसने भेजा। वह किसी का नाम बताता है तो उल्टी जिरह की जाती है और उस बंदे को और केसों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो वहां की कैद से तो छूट गये लेकिन अपने देश में आकर अपनी ही जेलों में बंद है। मेरी आपसे विनती है कि दूसरे देश से लाने से पहले आप सारी इंवैस्टीगेशन कर लो, लेकिन जब वह अपने देश में आ जाए तो फिर उसे किसी जुर्म में फंसाना, this is injustice, उसके साथ बेइंसाफी है।

जो जम्मू प्रॉविन्स है, इसमें एक डोगरा नस्ल है। रेजिमेंट्स बाद में बनी पहले नस्ल बनी हैं। यह वह नस्ल है जिसने वर्ष 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का मुंह तोड़ा था, you know it better. जो इलाके हमारे छिन गये हैं, चाहे चीन ने छीने हों या पाकिस्तान ने, those are the persons, ये वही डोगरा लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर इतना बड़ा जम्मू-कश्मीर बनाया था जो आज हमारे हाथ से चला गया है। आज तो पीओके के लोग कहते हैं कि हमें वापस लाओ। पाकिस्तान हमारे वाले पीओके में इंटरफेयर करता है। हमारी अपील है कि पीओके के लिए भी, जो हमारा हिस्सा है, हमें लड़ाई छेड़नी चाहिए, जिससे पाकिस्तान का दिमाग ठीक हो।

आज मैंने सुना कि इधर दिल्ली में गिलानी को पकड़ा गया है, मीडिया वाले मुझे बता रहे थे, उसे डिटेन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे छोड़ना मत क्योंकि हमारी पिछली सरकार ने ऐसी गलती की थी। जम्मू-कश्मीर में जो लोग तबाही करते हैं उन लोगों के लिए इन्होंने जम्मू-कश्मीर में कानून पास करवाया और कहा कि हमारा कोई भी कैदी भारत की जेल में नहीं जाएगा। जब गिलानी बीमारी के कारण जोधपुर जेल से छुटकर आया तो इसने जम्मू-कश्मीर में बिल पास करवाया कि कोई भी जम्मू-कश्मीर का कैदी हिंदुस्तान की जेलों में नहीं जाएगा, जम्मू-कश्मीर में रहेगा। This is bad; this is unfortunate, this must end.

मेरे कहने का मकसद है कि जो देशद्रोही लोग हैं, देश का नुकसान करने वाला कोई भी आदमी है, ये सामने वाले ताले बजा रहे हैं, क्या सत्यानाश आपने नहीं किया जब आप आतंकवादियों को कंधार छोड़ने चले गये थे।

कोई भी शासन, कोई भी आदमी, कोई भी राजनेता या राजनीति देश से बढ़ कर नहीं है।...(व्यवधान) किसी को भी देश से गद्दारी करने का अधिकार नहीं है।...(व्यवधान) देश में जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें पकड़ कर सजा देनी चाहिए।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, as correctly mentioned by the hon. Minister, the scope of this Bill is very limited. There is only a slight modification replacing one word with another word, 'military law' in place of 'martial law'.

The Standing Committee on this subject has also given the reason for that. Martial law is not found relevant in the Indian context and it should be replaced with the word 'military law'. It was also stated that the Ministry of Law and Justice was consulted in this matter, and that the Ministry advised that the proposed change should be made in this Act. That part is okay.

But, Sir, this small piece of legislation brings a very serious thing to our notice, as correctly mentioned by others.

Sir, the editorial written in the daily, *The Hindu* on 14th September, 2010 is an eye-opener in this. I would like to quite the relevant portion of that editorial. It says:

> "Dealing with India-Pakistan prisoners - Nothing could be more repulsive in modern-day diplomacy than a country arresting civilian nationals of another country and then cynically using them as bargaining chips in bilateral issues. Yet India and Pakistan have followed this egregious practice for decades. They have kept hundreds of people from the other side in their jails, releasing them only when it suits one or both governments, irrespective of when an individual prisoner completed his sentence. Some of these hapless cross-border prisoners end up spending as long as two decades in jail for offences such as smuggling, overstaying their visa, or crossing the border illegally. Almost all of them are poor; at the time of their arrest, some are not even aware of committing an offence. Clearly, the fishermen who regularly get arrested in the Arabian Sea for crossing the international boundary line do so only for livelihood reasons. â€¦"

It is really an eye-opener.

Sir, as correctly mentioned by other Members, I am of the opinion that these kinds of matters deserve very serious attention.

Now, I come to the other thing, that is, the bad plight of Indians in Sri Lanka. My learned friend was also saying about that. I myself had raised a submission in this august body during the last Session. Now, there is a development in that.

The Member of Parliament, Shri Thirumaavalavan from Tamil Nadu was trying to meet the fishermen and he was not allowed to meet them. The report says like that. The heading of that news item is: "India in talks with Sri Lanka to bring back the Indian prisoners languishing in jails in that country."

> It says:
>
> "External Affairs Minister S.M. Krishna has said the government is in talks with Sri Lanka to bring back the Indian prisoners languishing in jails in that country.
>
> We have been in discussions with the Sri Lankan government on the matter and continue to pursue it vigorously keeping in mind the humanitarian aspect," Krishna told Thol. Thirumaavalavan, VCK MP from Tamil Nadu. â€¦ "

He was replying to his letter.

It further says:

> "The foreign minister, in a written reply to him, informed: Both sides are working towards finalizing an 'Agreement on the Transfer of Sentenced Persons'.
>
> We will shortly send a delegation to Colombo to negotiate the finalized draft text," Krishna said in his letter, a copy of which is with IANS.

Indian prisoners in Sri Lanka allege that officials at the Indian mission are not bothered about their plight. One of them told IANS that some had spent as many as 16 years in captivity and added that Indian authorities were making no efforts to get them released. "

It is a sad plight. I am requesting the hon. Minister to take up this matter not only in a legal way but it should be dealt in a political way also. India is having very good relation with our neighbouring countries. Whether it is Pakistan or Sri Lanka, we must make our maximum effort to get the things done.

Towards the end, I would like to say one more thing, that is, in respect of U.A.E. In a reply in Rajya Sabha, hon. Overseas Indian Affairs Minister, Shri Vayalar Ravi stated:

"A total of 3095 Indians are serving jail sentences in six Gulf countries; 1361 in U.A.E, 1226 in Saudi Arabia, 263 in Kuwait, 126 in Oman, 91 in Bahrain and 28 in Qatar."

There is a happy report in this. In January, 2011, a meeting with the Deputy Custodian of Holy Mosque, Prince Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, approved a prisoner transfer deal with India. An Extradition Agreement and Transfer of Sentenced Persons Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of India were signed on 28th February, 2010, one year back. Even after one year, it has not been materialized.

What I am saying is that it is a denial of justice. On flimsy ground, innocent persons are kept in custody. I would request the Government, as pointed out by me earlier, that the matter should be taken up not only within the legal framework but also politically, whatever may be the relations of Indian Republic with Saudi Arabia. Our Prime Minister had visited Saudi Arabia. He was given a red carpet reception. It was a historical reception Saudi Arabia had given to our hon. Prime Minister. I would request the Government that we must use our good office to get the things done. With this humble submission, I support this Bill.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमारे देश के कई लोग बंदी बनाए जाते हैं, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र अमरेली में तीन डिस्ट्रिक्ट्स में समुद्री किनारा पड़ता है। हमारे देश का सबसे बड़ा समुद्री किनारा गुजरात में पड़ता है तो 1600 किलोमीटर है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बेरावर, जाफराबाद, मउआ, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में समुद्री किनारा पड़ता है। मंत्री जी भी जानते हैं कि जाफराबाद के सबसे ज्यादा मछुआरे पकड़े जाते हैं। यहां जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उन्हें बॉर्डर का पता नहीं चलता है कि कहां खत्म होता है और पाकिस्तानी बोट आकर उन्हें ले जाती है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है। मैं अपने मत क्षेत्र में पाकिस्तान की जेल में जाफराबाद के कैदियों से मिला, उनके परिवारों के साथ मिला और पूछा कि वहां की जेल के हालात क्या हैं और आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? उन्होंने बताया कि आज तक हमने ऐसी कोई जेल नहीं देखी जैसी पाकिस्तान की है, जेल में जेलरों ने हमारे साथ अमनुष्यता का व्यवहार किया, पाकिस्तान की जेल में खतरनाक बर्ताव किया जात है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं हमारे देश के बंदी बनाए गए भाइयों को जल्द से जल्द छुड़वाएं और देश में वापिस लाएं।

महोदय, मैं सबसे ज्यादा अहम बात कहना चाहता हूं पाकिस्तान में मछुआरों की बहुत बोट्स हैं जो वहां पड़ी सड़ जाती हैं और वापिस नहीं दी जाती हैं जबकि एक बोट बनाने में मछुआरे को 50 से 60 लाख रुपया तक खर्च करना पड़ता है। तब बोट बनती है। बैंक से कर्ज लेकर वह बोट बनती है। लेकिन वे सब बोट्स आज पाकिस्तान में सड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें वापस लाना चाहिए और मछुआरों की जो बोट्स पकड़ी गई हैं, वे उन्हें वापस दिलानी चाहिए। इस बारे में केन्द्र सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि अब जो वक्ता हैं, उनकी बात सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 जो सदन में लाया गया है, इसमें एक छोटा सा संशोधन है, जिस पर सारे वक्ताओं ने कहा है। यह ठीक है कि सेना और सैनिक, लेकिन इसके पीछे एक पीड़ा है। यह ठीक है कि भारत और अन्य कई देशों के बीच में बंदियों का आदान-प्रदान करने का कानून है और यह भी सही है कि दूसरे देशों में हमारे देश के जो बंदी हैं, चाहे वे सजायाफ्ता हों, चाहे अंडर ट्रायल हों, चाहे विचाराधीन कैदी हों, इन सबके बारे में कानून लागू होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो

मानवीय पीड़ा है, जिसे डा.रघुवंश प्रसाद सिंह, चौधरी लाल सिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री बी.महताब जी ने व्यक्त किया है और वह मानवीय पीड़ा इसलिए भी है कि हमारी वह पीड़ा पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। बंगलादेश के मुकाबले पाकिस्तान के साथ हमारी पीड़ा अधिक जुड़ी हुई है।

महोदय, मैं दो-तीन संदर्भों का उल्लेख करना चाहूंगा। यह टैक्निकल मामला है, यह विदेश मंत्रालय का मामला है या रक्षा मंत्रालय का मामला है, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन भारसाधक मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी हैं और उन्हीं के कानून के द्वारा कैदियों का आदान-प्रदान होगा, चाहे वे सजायाफ्ता हों या विचाराधीन हों। 1989 में इस्लामाबाद में दक्षेस बैठक हुई थी और पाकिस्तान ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमारे यहां भारत के कुछ युद्धबंदी हैं। युद्ध के दौरान जो हमारे अफसर थे, हमारी सेना के कर्मचारी थे, हमारी थलसेना, वायुसेना और नेवी के जो अफसर और कर्मचारी थे, जिन्हें पाकिस्तान ने पकड़ा और नहीं छोड़ा, वे अंडर ट्रायल हैं या वे कंविक्टेड हैं, वे यह नहीं बताते। लेकिन उन्होंने उपरोक्त बात को स्वीकार किया था। उसके बाद 2007 में पाकिस्तान के प्रेसीडेंट श्री मुशर्रफ ने कहा था कि वे जिनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार आ जाएं और पाकिस्तान के जेलों में देख लें कि उनके संबंधी कौन-कौन से हैं। जून, 2007 में जब यहां से उनके परिजन पाकिस्तान की जेलों में उन्हें देखने के लिए गये कि हमारे कौन-कौन से संबंधी कितने समय से पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं तो पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें मना कर दिया और देखने नहीं दिया। यह मामला अभी तक चल रहा है। अभी सरबजीत का मामला उठाया है। सरबजीत का मामला सारे देश के लिए निश्चित रूप से पीड़ादायक है। उसकी बेटी ने स्वीकार किया कि अगर हमारे पिता जी देशद्रोही हैं तो भी उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जबकि कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि इस पर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से दो बिन्दुओं पर जानकारी चाहूंगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई? इसके अलावा श्रीलंका में जो मछुआरे पकड़े जाते हैं या अरब के मुल्कों के बारे में अंसारी साहब ने चर्चा की या अन्य मुल्कों के बारे में यहां चर्चा हुई। होता क्या है कि हमारे यहां से बंदियों के प्रत्यर्पण में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के बंदी जो दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके साथ बहुत दिक्कतें होती है और खासकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं।

15.19 hrs.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं कि फ्लाइंग लैफ्टिनेन्ट सुधीर गोस्वामी का नाम आया। अभी डा.रघुवंश प्रसाद सिंह ने मिसिंग डिफैंस पर्सनल रिलेटिव एसोसिएशन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेन्ट आर.एस.आडवाणी, लेफ्टिनेन्ट एन. पुरोहित, स्कवाड्रन लीडर महेन्द्र कुमार एवं अन्य जो हमारे असंख्य सैनिक युद्धबंदी हैं, चाहे वे वायुसेना, थलसेना या नेवी में थे, जो उस समय पकड़े गये थे, उन्हें पाकिस्तान की जेलों से छुड़ाना चाहिए। हमारे देश के कितने लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए, इसकी सूचना होनी चाहिए। जब आप इस कानून में मामूली तकनीकी शब्द का संशोधन कर रहे हैं तो इस बारे में इस कानून का क्या सदुपयोग होगा? कानून बनाने के बाद भी यदि हमारे देश के लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद रहेंगे, कानून बनाने के बाद भी यदि सरकार हमारे देश के युद्धबंदियों को पाकिस्तान की जेलों से वापस नहीं लायेगी। कानून बनाकर जब हमारे लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में वर्षों-वर्षों तक अमानवीय पीड़ा भोगेंगे तो इस कानून का क्या उपयोग होगा। सिर्फ बाहरी लोगों को अपने देश से प्रत्यापर्पण करने के लिए होगा या भारतीय लोगों को लाने के लिए भी होगा।

सरकार को अपना संकल्प यहां दोहराना चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो चूक हुई थी, वह हो गई, उसमें संशोधन करके उन्होंने यह अच्छा काम किया है लेकिन मैने और माननीय सदस्यों ने जिस मानवीय पीड़ा के पीछे जो भारतीय भावना की त्रासदी छुपी हुई है, उसके बारे में जिक्र किया, आपको अपनी राय और सरकार का संकल्प रखना चाहिये।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members for supporting the amendment Bill. As I said in my opening remarks, it is a mistake. It is not important when the mistake was committed. It was a mistake. The Bill became law on 1st January, 2004. We have discovered the mistake now and we are correcting the mistake. I am grateful that all of you have supported the correction.

Sir, the scope of the Bill is extremely limited. The parent Act applies only to prisoners and 'prisoner' means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court. It does not apply to undertrails and it does not apply to any other detenue. It applies only to prisoner who has been convicted by a competent criminal court of a country.

Secondly, the Act itself applies only if India has a treaty with another country. In fact, this Act came into force on 1 st January, 2004 and it is only in the last six years that we have begun to enter into treaties with other countries. The first agreement was signed with the United Kingdom on 18.02.2005. The most recent agreement was signed with Sri Lanka which became effective in December, 2010. We have signed agreements with only 11 countries − the United Kingdom, Mauritius, Bulgaria, Cambodia, Egypt, France, Bangladesh, Korea, Saudi Arabia, Sri Lanka and Iran. Negotiations have concluded with five other countries − Canada, Israel, Hong Kong, Brazil and Italy − but the agreements have not yet been signed.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सोमालिया के साथ में भी करिये। वहां जहाज लूटे जाते हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: We have to negotiate. It is not as though we can say 'sign tomorrow'. Each one has to be negotiated with that country. That country must have a law similar to our law.

Therefore, this is a process which started only on 1st January, 2004. We are now in the beginning of 2011. As we sign agreements with more countries, as more countries have similar laws and they are willing to sign agreements with us, then perhaps this law can apply to more countries.

The second aspect I wish to clarify is that each country has its own law. Like we have this law, the 2003 Act, they have their own law. A prisoner who is a foreign national in an Indian prison must apply to the Indian Government that he may be repatriated to his home country to serve the remainder of his term there. That country under its law must agree to accept the prisoner. So, there is an elaborate procedure set out in Section 4 to Section 11 of the Act by which a foreign national undergoing a sentence in an Indian jail, after being convicted by an Indian criminal court, can apply to be repatriated to that country to serve the remainder of his sentence.

Similarly, under Section 12, an Indian national undergoing a sentence of imprisonment in a foreign country, after being convicted by a criminal court of that country, can apply to that country that he must serve the remainder of his sentence in an Indian prison. There is an elaborate procedure. It is not as though we can demand that the prisoner be transferred or they can demand that the prisoner be given. The prisoner must apply. In many cases, prisoners, who have been sentenced to short terms of imprisonment, say six months or one year, would not want to go through this elaborate procedure. They will undergo the sentence in the prison in which they find themselves.

We have repatriated five British prisoners to the United Kingdom after this law became operational and agreements have been signed, and one more is under consideration. We have brought back 12 Indian prisoners from Mauritius, and three more are in the process.

So, I think that we must understand the scope of the law. It is a very limited law. Why are we making the change? It is because if anyone has been convicted by a military court under military law, then he is not entitled to the benefit of this Act. If a foreign national has been convicted by the Indian military court for violating a military law, then we are certainly not going to allow him to go back to that country to serve his sentence.

Who is convicted in a military court? Usually, it is spies. Therefore, there is an exception, and the exception is anyone convicted under the military law. But, unfortunately, the word used was 'martial law'. I have explained that 'martial law' is when there is military dictatorship is in the country. We are a democracy, and we are not a military dictatorship. Therefore, the appropriate phrase is military law and not 'martial law'. We are making that correction.

With these words, I would request that the Bill be passed.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up motion for consideration of the Bill.

The question is:

"That the Bill to amend the Repatriation of Prisoners Act, 2003, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 Short title

Amendment made:

Page 1, line 3, --

for "the Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2010"

substitute "the Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2011", (2)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, --

for "Sixty-first"

substitute "Sixty-second". (1) (Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM : I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.